

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 22.04.2021 जनपद देवरिया

दिनांक 21.04.2021 को पुलिस अधीक्षक देवरिया डा0 श्रीपति मिश्र द्वारा कच्ची शराब के निष्कर्षण एवं विक्रय पर अंकुश लगाने व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु उनके विरुद्ध जनपद देवरिया में अभियान चलाया गया जिसके क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही किया गया जिसके परिप्रेक्ष्य में-

***01.आबकारी अधिनियम के अंतर्गत-**

*➡ **थाना बरहज*** पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त 01.अभय सिंह उर्फ मिक्कू पुत्र हरeram सिंह सा0 पैना थाना बरहज, देवरिया गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 20 ली0 नाजायज कच्ची शराब का बरामद कर चालान न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

*➡ **थाना बनकटा*** पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त 01.सुरेन्द्र पुत्र नन्दलाल सा0 खड़ेसर थाना भाटपाररानी देवरिया गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 40 शीशी बन्टी बबली प्रत्येक 200 एमएल कुल 8 लीटर अवैध देशी शराब बरामद कर चालान न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

*➡ **थाना रुद्रपुर*** पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त 01.लालमन यादव पुत्र रामहरख यादव सा0 जोकहा खास थाना रुद्रपुर देवरिया गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 20 ली0 नाजायज कच्ची शराब का बरामद कर चालान न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया। इसके अतिरिक्त 01 अभियुक्त 01.राजकुमार निषाद पुत्र रामदरश सा0 जोकहा खास थाना रुद्रपुर देवरिया गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 20 ली0 नाजायज कच्ची शराब का बरामद कर चालान न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

*➡ **थाना खामपार*** पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त 01.हरेन्द्र कुमार पुत्र राम इकबाल यादव सा0 चैनपुर थाना हथुआ जिला गोपालगंज बिहार गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 70 शीशी बन्टी बबली प्रत्येक 200 एमएल कुल 14 लीटर अवैध देशी शराब बरामद कर चालान न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

*➡ **थाना तरकुलवा*** पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त 01.राहुल यादव पुत्र अयोध्या यादव सा0 कोन्हवलिया बाबूराय थाना तरकुलवा देवरिया गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 70 शीशी बन्टी बबली प्रत्येक 200 एमएल कुल 14 लीटर अवैध देशी शराब बरामद कर चालान न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

***02-निरोधात्मक कार्यवाही-**

दिनांक 21.04.2021 को देवरिया पुलिस द्वारा चलाये गये अभियान में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निरोधात्मक कार्यवाही की गयी, जिनका विवरण निम्नवत है-

➡ जनपदीय पुलिस द्वारा 151 सीआरपीसी के अन्तर्गत 15 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही किया गया।

***03-जनपदीय पुलिस द्वारा मोटर वाहन अधिनियम में कार्यवाही-**

दिनांक 21.04.2021 को जनपदीय पुलिस द्वारा शांति अपराधियों संदिग्ध व्यक्तियों, संदिग्ध वाहनों के विरुद्ध चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसके परिप्रेक्ष्य में जनपद के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण निम्नवत है-

➡ वाहन चेकिंग के दौरान 114 वाहनों से 1,22,000 रुपये शमन शुल्क (ई-चालान) किया गया।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 22.03.2021 जनपद देवरिया।

कोविड-19 के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक देवरिया द्वारा शिकायती प्रार्थना पत्र हेतु जारी किया गया व्हाट्सएप नम्बर।

अपने घरों में रहे अनावश्यक बाहर नहीं निकले:एसपी

पुलिस अधीक्षक देवरिया को सीधे व्हाट्सएप करें शिकायत।

कोविड-19 के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक देवरिया डा0 श्रीपति मिश्र द्वारा पुलिस कार्यालय देवरिया में लोगों की सुविधा हेतु अनोखी पहल करते हुए व्हाट्सएप नम्बर 7839861989 तथा लैण्ड लाईन नम्बर 05568241400 जारी किया गया है। जिसपर जो भी व्यक्ति पुलिस अधीक्षक देवरिया के सम्मुख उपस्थित होकर अपनी समस्या बताना चाहते हैं, उन्हें पुलिस कार्यालय देवरिया आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी वह अपनी समस्या उपरोक्त व्हाट्सएप मोबाईल नम्बर पर सीधे पुलिस अधीक्षक देवरिया को भेज सकते हैं, जिसका समय प्रातः 10:00 बजे से 13:00 बजे तक समय है। इसके दौरान पुलिस अधीक्षक देवरिया पुलिस कार्यालय पर उपस्थित रहते हुए व्हाट्सएप पर आने वाली समस्याओं को स्वयं देखेंगे। पुलिस अधीक्षक देवरिया द्वारा अपील की जाती है कि जनपदवासी कोविड-19 से बचाव हेतु अनावश्यक बाहर नहीं निकलें तथा मास्क का प्रयोग सदैव करें।